



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)
Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

क्रमांक 539 / अका. / 2022

बिलासपुर, दिनांक

16 NOV 2022

कार्यालयीय ज्ञाप

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04-11-2022 के विषय क्रं0-6 में शारीरिक शिक्षा विभाग के बी.पी.एड./एम.पी.एड. एवं योग पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क संरचना पर निर्णय निम्नानुसार लिया गया है :-


विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि शारीरिक शिक्षा विभाग के बी.पी.एड./एम.पी.एड. एवं योग पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क संरचना एवं विश्वविद्यालय के अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रस्तावित क्रीड़ा शुल्क एवं योगा शुल्क का अनुमोदन किया जाय।

उक्त निर्णय के परिपालन में निम्नानुसार शुल्क संशोधित किया जाता है :-

- 1- बी.पी.एड एवं एम.पी.एड कार्यक्रमों के लिये प्रयोगशाला शुल्क रू.2000/-प्रति सेमेस्टर
- 2- स्पोर्ट्स शुल्क रू.500/-प्रति सेमेस्टर विश्वविद्यालय के समस्त कार्यक्रमों के लिये।
- 3- योग शुल्क रू. 250/- प्रति सेमेस्टर विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये।


उपरोक्तानुसार शुल्क वर्तमान सेमेस्टर से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव (कार्यवाहक) /c

प्रतिलिपि :-

- 1- कुलपति/कुलसचिव जी के सचिव/निज सहायक को मान0कुलपति/कुलपति जी के सूचनार्थ।
- 2- अधिष्ठाता,समस्त अध्ययनशाला, गुरु घासीदास वि0वि0बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
- 3- विभागाध्यक्ष, समस्त शिक्षण विभाग,गु0घा0वि0वि0बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कार्यालय प्रति।


सहा-कुलसचिव (अका.)